निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 67 / 2019

तारीख दायरा 23.08.2019

उनवान

मदनलाल पुत्र स्व. श्री घांसीलाल जाति काछी कुशवाह निवासी काछी मौहल्ला ग्राम बपावर कलां तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. अमरलाल पुत्र स्व. घांसीलाल जाति काछी निवासी ग्राम बपावर कलां हाल मुकाम ग्राम पराणियां तहसील तालेडा जिला बून्दी।
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व.रघुनाथ जाति काछी निवासी ग्राम बपावर कलां तह. सांगोद।
3. रामप्रसाद पुत्र स्व.रघुनाथ जाति काछी निवासी काछी मौहल्ला ग्राम बपावर कलां, सांगोद।
4. देशराज पुत्र स्व. रघुनाथ जाति काछी निवासी काछी मौहल्ला ग्राम बपावर कलां, सांगोद।
5. धनकंवर पुत्री स्व. रघुनाथ पत्नि सत्यनारायण निवासी काछी मौहल्ला ग्राम बपावर कलां, सांगोद।
6. भंवरी पुत्री स्व. रघुनाथ पत्नि बाला निवासी काछी मौहल्ला ग्राम आंवा तहसील कनवास जिला कोटा।
7. चम्पाबाई पुत्री स्व. रघुनाथ निवासी काछी मौहल्ला ग्राम बपावर कलां, सांगोद।
8. रघुनाथीबाई पुत्री स्व. घांसीलाल पत्नि स्व. मथुरालाल निवासी ग्राम आंवा तहसील कनवास जिला कोटा।
9. नन्दकंवरी पुत्री स्व. घांसीलाल पत्नि राधेश्याम निवासी ग्राम ग्राम बपावर कलां, तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. बादाम बाई पुत्री स्व. घांसीलाल पत्नि ... निवासी ग्राम ग्राम बपावर कलां हाल मुकाम तीतरवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
11. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 18.02.2021

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील वादी)

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि माल ग्राम बपावर कलां तहसील सांगोद में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 10 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त में खाता स. 488 नया 467 पुराना की ख.न. 1407 की 0.04 है., ख.न. 1408 की 0.13 है., ख.न. 1409 की 0.17 है., ख.न. 1410 की 0.26 है., ख.न. 1713 की 0.15 है., ख.न. 1863 की 0.58 है., ख.न. 894 की 0.53 है. कुल 7 किता की कुल 1.86 है. आराजी स्थित है। उपरोक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 10 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। वादपत्र में वर्णित आराजी वादी के स्व. दादा पांच्या पुत्र भियाला जार्ति काछी निवासी ग्राम बपावर कलां के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी रही है। वादी के स्व. दादा एवं प्रतिवादी सं. 1, 8, 9, 10 के स्व. दादा एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के स्व. परदादा एवं प्रतिवादी सं.7 चम्पाबाई के दादीश्वसुर पांच्या पुत्र भियाला जाति काछी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में संवत 2015 से 2024 सेटलमैन्ट जमाबन्दी माल ग्राम बपावर कलां में खाता स. 21 की ख.न. 456 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, डाबर कलां ख.न. 458 की 3 बीघा 5 बिस्वा, ख.न. 702 पीलिया की टुकडी 18 बिस्वा, ख.न. 801 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा उगर वाला, ख.न. 1120 रकबा 5 बिस्वा मोती कुआं, ख.न. 1121 मोती कुआं का टुकडा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल 6 किता की कुल 17 बीघा 16 बिस्वा आराजी रही है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व ... पुत्र भियाला जाति काछी निवासी ग्राम बपावर कलां का स्वर्गवास होने के बाद ... उत्तराधिकार में उनके सुलभी एक मात्र पुत्र घांसीलाल आत्मज पांच्या को प्राप्त हुई। घांसीलाल पुत्र पांच्या की मृत्यु के उपरांत उक्त आराजी घांसीलाल के सुलभी पुत्र वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं.1 तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के पिता एवं प्रतिवादी सं.7 के पति रघुनाथ एवं प्रतिवादी सं. 8, 9, 10 पुत्रियों को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई एवं राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम बहैसियत खातेदार कृषक दर्ज हुआ है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में सहवन से त्रुटिवश वादी एवं प्रतिवादी सं ... एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 10 के पिता के स्थान पर राजस्व रेका

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

पृष्ठ भूमि के व्यक्ति होने के कारण अबतक उन्हें इस त्रुटि की जानकारी नहीं थी। इस वर्ष अप्रैल माह में बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की वाद ग्रस्त आराजी की नकल प्राप्त करने पर बैंक अधिकारियों से संपर्क किया तो बैंक अधिकारियों द्वारा वादी के आधार कार्ड व अन्य राजकीय दस्तावेजों की नकलें मंगवाई एवं पहचान पत्र, राशन कार्ड व राजस्व रेकार्ड में पिता के नाम की भिन्नता होने से उन्होंने जानकारी दी कि तुम्हारे राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में पिता का नाम गलत दर्ज हो रहा है, उसे दुरस्त करवाओ, उसी के बाद वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड की अन्य नकलें प्राप्त करने पर तहसीलदार सांगोद के कार्यालय में प्रार्थना पत्र नाम दुरस्ती हेतु पेश करने पर उनके द्वारा हिदायत व निर्देशित किया गया कि उपखण्ड न्यायालय में नाम दुरस्ती का वादपत्र पेश करो, उक्त त्रुटि सेटलमैन्ट 2058 से पूर्व की है जिसे दुरस्त करने का हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, इसी कारण वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में हो रही त्रुटि के संशोधन एवं घोषणा की डिक्री चाहने हेतु श्रीमान के न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होने से वाद पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री पारित फरमावें कि—

माल ग्राम बपावर कलां पटवार हलका बपावर कलां तहसील सांगोद की खाता स. 488 नया 467 पुराना की ख.न. 1407 की 0.04 है., ख.न. 1408 की 0.13 है., ख.न. 1409 की 0.17 है., ख.न. 1410 की 0.26 है., ख.न. 1713 की 0.15 है., ख.न. 1863 की 0.58 है., ख.न. 894 की 0.53 है. कुल 7 किता की कुल 1.86 है. आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 8 ता 10 के पिता घांसीलाल के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में त्रुटि से अंकित नाम पांच्या को दुरस्त कर वादी एवं प्रतिवादी 1, 8 ता 10 के वल्दीयात के स्थान पर घांसीलाल दुरस्त करने की घोषणा की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं 5 ता 10 की ओर से वकील श्री [illegible]मित पांचाल ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने पर [illegible] प्रतिवादी स. 4 व 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि प्रकरण में [illegible] जवाब दावा पेश हुआ है, अतः तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। वकील [illegible] बहस की गई तथा वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

[illegible]लोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली में जो जमाबंदी, इकबाली जवाब [illegible]पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम बपावर कलां पटवार हलका बपावर कलां तहसील सांगोद की खाता स. 438 नया 467 पुराना की ख.न. 1407 की 0.04 है., ख.न. 1408 की 0.13 है., ख.न. 1409 की 0.17 है., ख.न. 1410 की 0.26 है., ख.न. 1713 की 0.15 है., ख.न. 1863 की 0.58 है., ख.न. 894 की 0.53 है. कुल 7 किता की कुल 1.86 है. आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 8 ता 10 के पिता घांसीलाल के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में त्रुटि से अंकित नाम पांच्या को दुरस्त कर वादी एवं प्रतिवादी 1, 8 ता 10 के पिता के स्थान पर घांसीलाल करने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्रांज दुरस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक का चार्ज प्रथम होने के कारण बैंक रहन यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.01 12:25:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद